

30-6-22

मतावली पेश हुई। वकील मदन लाल उमासिंह कोरे-
 वारी सं. 1 से 3 भी कोर से श्री सुरेश कुमार शर्मा एड. द्वारा
 अलाह तलाश व वकील प्रोत्साहनों द्वारा आपसी सहमति से
 राजीनामा वाद अन्तर्गत निदेश 7 निश्चय। आ-दो. एवं
 प्रोत्साही सं. 4 को कोर से अलाह दावा मेशा निमागमा
 जो शामिल जाईल है। वकील कोर द्वारा इस्ताव जा
 अन्तर्गत प्रमाणित दस्तावेज प्रेश किये गये जो शामिल
 जाईल है। प्रस्तुत दस्तावेजों व मतावली का अध्ययन
 कर मजबूत निमागमा जाकर वकील कोर वाद अन्तर्गत -
 धारा 88 व 188 राजस्थान वास्तविकी अधिनियम -
 1955 प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार डिप्टी निमाग-
 मा है। निमाग अन्तर्गत राजीनामा जाकर
 शामिल जाईल निमागमा। मतावली कोरल कुमार
 द्वारा अन्तर्गत से काम होकर हाविले दस्तावेजों / निमाग
 कुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेख

मतावली व न्याय
 अधिकारी
 (निमाग अन्तर्गत निमाग 181)

सत्यनारायण
 श्रीनारायण

पुनर्जाय (अ 1)

उच्च न्याय
 सुलेख शर्मा

